न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 27/2020

जी.सी.एम.एस. : 2020/00298

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मुकेश पुत्र कानाराम जाति बावरी निवासी मुरडांवा, तहसील सोजत जिला पाली (राज.)		1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बगडी, जिला पाली 2. राजस्था सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित : अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना
राज्य की ओर से सरकारी पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:20:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 01/02/2021

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार बगडी के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 51/2020 सरकार बनाम मुकेश में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2020 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का मुरडावा ने अपीलाण्ट को ग्राम मुरडावा के खसरा नम्बर 353 रकबा 0.36 हैक्टेयर किस्म पेटा तालाबी भूमि पर कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 51/2020 दर्ज कर, अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु दिनांक 24.07.2020 को उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलाण्ट मातहत अदालत में दिनांक 24.07.2020 को पेश हुआ, तब अधीनस्थ न्यायालय में आदेशिका पर हस्ताक्षर करवा लिए तथा आदेश के संबंध में आइन्दा न्यायालय में आकर पता करने बाबत कह कर अपीलाण्ट को न्यायालय से भेज दिया। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी ने आदेशिका में अंकित दिनांक 24.07.2020 को वाईटनर से मीटाकर 10.07.2020 कर दी तथा आगामी तारीख 24.07.2020 कर दी, इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 07.08.2020 को नियत करते हुए, अपीलाण्ट को अनुपस्थित बताते हुए एकतरफा निर्णय पारित कर, अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए एक माह के सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से तथा अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश के साथ ही 300/– रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपील आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, जबकि किसी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का पुरा अवसर दिये जाने के आज्ञापक प्रावधान है। मातहत अदालत ने अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में मु.न. 666/2019 में पारित बेदखली के आदेश की प्रति पत्रावली में पेश नहीं की है, न ही बेदखली बाबत कोई साक्ष्य ही पेश किया है, फिर भी अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए जैर अपील आदेश पारित कर दिया। इसके बावजूद अपीलाण्ट को जब जैर अपील निर्णय की जानकारी हुई तो, उसने स्वयं जैर अपील आराजी से अपना कब्जा हटा दिया है, जो हल्का पटवारी की पत्रावली संलग्न रिपोर्ट दिनांक 31.08.2020 से स्पष्ट है। इस संबंध में अपीलाण्ट ने स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जैर अपील आराजी पर से अतिक्रमण हटा दिए जाने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जैर अपील आदेश निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी मुरडावा ने इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है। वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:20:33 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का मुरडावा ने अपीलाण्ट द्वारा ग्राम मुरडावा के खसरा नम्बर 353 रकबा 0.36 हैक्टेयर किस्म पेटा तालाबी भूमि पर कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 51/2020 दर्ज कर दिनांक 07.08.2020 को जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पत्रावली की आदेशिकाओं में वाईटनर लगाकर कांट–छांट की गई है। मातहत अदालत द्वारा जैर अपील ओदश में उल्लेख किया है कि अपीलाण्ट को पूर्व में प्रकरण संख्या 666/2019 के द्वारा जैर अपील आराजी से बेदखल किया गया। लेकिन पत्रावली के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं है, जिससे की यह साबित हो सके कि अपीलाण्ट को पूर्व में जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी से कब्जा हटा दिया गया है, यह पत्रावली संलग्न हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 31.08.2020 एवं अपीलाण्ट स्वयं द्वारा दिए गए शपथ पत्र दिनांक 14.08.2020 से स्पष्ट है। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर से कब्जा हटा दिया जाने से इस अदालत द्वारा उसके प्रति नरम रूख अपनाते हुए निर्णय पारित किया जाता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 51/2020 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2020 में अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित एक माह के सिविल कारावास के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा मातहत अदालत द्वारा अधिरोपित जुर्माना एवं जैर अपील

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति के साथ उनकी मूल पत्रावली पालनार्थ भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 01/02/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:20:33 IST
Reason: SelfAttested